न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 88/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/54
दायर दिनांक :– 23.05.2024 निर्णय दिनांक :– 08.04.2025

1. अब्दुल हकीम पुत्र हमलखा जाति सिन्धी मुसलमान नि. नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
2. हसन खा पुत्र अलाना जाति सिन्धी मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
3. हासम पुत्र अलाना जाति सिन्धी मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. नूरदीन पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
2. मो. शरीफ पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
3. हजूर खा पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
4. नबीबक्स पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सिकन्दर खान अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

–:: निर्णय ::–

प्राथीगर्ण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व से ही प्रार्थीगण के पूर्वजों का एवं सेटलमेंट के बाद में प्रार्थीगण का स्वतंत्र कब्जा व काश्त चला आ रहा है जिस पर प्रार्थीगण की पक्की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के

08/4/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

लिये बाड़े इत्यादि बनाये हुवे है जिसमें प्रार्थीगण बारह मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी कब्जा काश्त भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का वर्षो से स्वतंत्र कब्जा व काश्त है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी दखल नहीं किया है। प्रार्थीगण के पूर्वजों के अनपढ होने एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता सरादीन कर्ताखानदान होने के कारण खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर अपने नाम दर्ज करवा दिया जबकि उक्त भूमि पर कभी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता का कभी कब्जा व काश्त नहीं रहा था और न ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक रहा। वक्त सेटलमेंट अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता सरादीन द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरे के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा देने से प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा समाज के मोजीज लोगो से करवाई गई समाज की पंचायती में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 तथा उनके परिवार द्वारा यह भूमि पुनः प्रार्थीगण के नाम हस्तान्तरण करना स्वीकार कर लिया था परन्तु वर्तमान में जमीनों के भाव बढने से एवं पूर्वजों के चले जाने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के मन मे अब बदनियति व्याप्त हो गई और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने से इंकार कर दिया। इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की और से राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने जवबा मे बताया कि ग्राम नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता सरादीन पुत्र बच्चे खां के नाम वक्त सेटलमेंट में दर्ज हुई थी। जिसमें प्रार्थीगण का कोई कानूनन हक व हिस्सा नहीं है न ही उक्त भूमि किसी प्रकार की वादग्रस्त भूमि है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है न ही प्रार्थीगण का उक्त भूमि में हक व हिस्सा ही है और न ही उक्त भूमि पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त ही रहा है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है-

०8/5/18
[illegible] कलेक्टर
[illegible]

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2076-2079 ग्राम नुरे की भुर्ज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ग्राम नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 276 रकबा 9.3887 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। उक्त वादग्रस्त वक्त सेटलमेंट अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता के नाम दर्ज अभिलेख थी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम खातेदारी की दर्ज है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादी के वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम खातेदारी की दर्ज है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग-उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

08/4/25

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.05.2024 खारिज की जाती है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)